

03-11-2021

पत्तावली में खूब हुई। अधिवक्ता उमयपदा उम.)
पत्तावली के अवलोकन से जाहिर आया
कि प्राची ने अधीनस्थ न्यायालय उमखण्ड
अधिकारी, माण्डलगढ़ के प्रकरण को पीठासीन
अधिकारी से असंतुष्ट होने के कारण अन्यत्र
स्थानांतरित करने हेतु यह प्रार्थना-पत्र
पेश किया है, जबकि न्यायालय उमखण्ड
अधिकारी, माण्डलगढ़ के पीठासीन अधिकारी
का स्थानांतरण हो गया है। अतः प्राची द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का वाद हेतु/कारण ही
सोम नहीं लचता है। अतएव प्राची का प्रार्थना
पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण
में सुनवाई हेतु वर्तमान पीठासीन अधिकारी
उमखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ को निर्देशित
किया जाता है।

जिला जलक्टर
नालवाड़ा